समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र0क0 (रेस्टोरेशन) /2015 सीधी रस्टो/2643/II/15

1. बृजभान तनय स्व0 भगवानदीन पटैल आयु 65
2. रामसिया तनय स्व0 श्री भगवानदीन पटैल आयु 49 साल दोनो निवासीगण ग्रम वैशाली तह0 सिहावल जिला सीधी म0प्र0 ।

.....प्रार्थीगण

विरूद्ध

ललन सिंह तनय स्व0 बुद्धलाल सिंह निवासी ग्रम वैशाली , तहसील सिहाबल जिला सीधी म.प्र.

.....अनावेदक

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण रेस्टोरेशन किये जाने वावत आवेदन पत्र आदेश 9 सिविल प्रकिया संहिता एंव अतर्गत धारा 35(3) एवं सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 के तहत।

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त रीवा संभाग रीवा के 82/अपील /04–05 मे पारित आदेश दिनांक 11.10.05 के विरूद्ध निगरानी 1743/दो/2005 दिनांक 14.10.05 को प्रस्तुत की गई जिसमे निगरानी सुनवाई व ग्रह किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु प्रकरण नियत था जिसमे अनावेदक पक्ष भी उपस्थिति था आवेदकगण भी नियत पेशी पर उपस्थिति होते रहे थे परन्तु श्रीमान न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 19.12.2013 को प्रकरण आवेदक की रूचि के अभाव मे निरस्त/डी.डी कर दिया गया जिससे दुखित होकर यह आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं ।
2. यहकि, प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का होने से 2005 का प्रकरण था जिसमे आवेदकगण की तरफ से नियुक्त अभिभाषक प्रत्येक पेशी पर नियत समय पर उपस्थिति होते रहे है किन्तु प्रथम बार उपस्थिति न होने से एवं आवेदकगण की रूचि के अभाव मे मात्र तकनीकि विन्दु पर प्रकरण को अदम पेरवी मे खारिज करने मे माननीय न्यायालय द्वारा अवैधानिक वडी भूल की गई है। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भी आया

~~6-10-15~~ 14-9-15	प्रकरण श्री क सुनवाई के अवसर पर आज प्रस्तुत। अपीलार्थी श्री सुनील सिंह अपील को स्वीकार अपील पर सुना गया। पत्रावली अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपील-धन निस्तारित किया जाता है। मूल प्रकरण क्रमांक 1743-II/05 पुनः सुनवाई हेतु दर्ज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।